उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–01
संख्या–1451 XV-1-2026/72131
देहरादूनः दिनांक 30 जून 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17 के प्राविधानानुसार तथा इस हेतु कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों के क्रम में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुतिनुरूप सम्यकविचारोपरान्त पशुपालन विभागान्तर्गत निम्न अधिकारी को निम्नवत् तालिकानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से नवीन तैनाती स्थान पर तैनात किया जाता हैः–

संयुक्त निदेशक/समकक्ष

क्र० स०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1.	डा0 अभय कुमार	परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश	वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली	जनहित में।

2– उपरोक्त अधिकारी नवीन तैनाती आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वतः कार्यमुक्त समझे जाएंगे। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर 01 सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक आख्या शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3– स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अनावश्यक पत्राचार एवं किसी भी स्तर से दबाव डलवाने का प्रयास किये जाने पर शासन स्तर पर इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अनुशानिक कार्यवाही की जायेगी।

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव

संख्या : तदैव एवं तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. निजी सचिव, सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/योगदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
9. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण।
11. गार्ड फाईल।

30.06.2026

महावीर सिंह परमार
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–01
संख्या–1446 XV-1-2026/72131
देहरादूनः दिनांक 30 जून 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17 के प्राविधानानुसार तथा इस हेतु कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों के क्रम में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुतिनुरूप सम्यकविचारोपरान्त पशुपालन विभागान्तर्गत निम्न अधिकारी को निम्नवत् तालिकानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से नवीन तैनाती स्थान पर तैनात किया जाता हैः–

संयुक्त निदेशक/समकक्ष

क्र० स०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1.	डा0 असीम देव	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली	वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए संयुक्त निदेशक, पशुपालन निदेशालय	विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किये गये अनुरोध के दृष्टिगत।

2– उपरोक्त अधिकारी नवीन तैनाती आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वतः कार्यमुक्त समझे जाएंगे। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर 01 सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक आख्या शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3– स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अनावश्यक पत्राचार एवं किसी भी स्तर से दबाव डलवाने का प्रयास किये जाने पर शासन स्तर पर इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अनुशानिक कार्यवाही की जायेगी।

4– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव

संख्या : तदैव एवं तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. निजी सचिव, सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/योगदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
9. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण।
11. गार्ड फाईल।

30.06.2026

महावीर सिंह परमार
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–01
संख्या–145 XV-1-2026/72131
देहरादूनः दिनांक30जून 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17 के प्राविधानानुसार तथा इस हेतु कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों के क्रम में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुतिनुरूप सम्यकविचारोपरान्त पशुपालन विभागान्तर्गत निम्न अधिकारी को निम्नवत् तालिकानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से नवीन तैनाती स्थान पर तैनात किया जाता हैः–

संयुक्त निदेशक/समकक्ष

क.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1.	डा0 डी0सी0 जोशी	मुख्य पशुचिकित्सा धिकारी, नैनीताल	वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए संयुक्त निदेशक, लघु विकास, कार्यालय अपर निदेशक, हल्द्वानी, नैनीताल।	सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची के क्रमांक–6 पर अंकित होने एवं इनके द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत।

2– उपरोक्त अधिकारी नवीन तैनाती आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वतः कार्यमुक्त समझे जाएंगे। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर 01 सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार प्रमाणक आख्या शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3– स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अनावश्यक पत्राचार एवं किसी भी स्तर से दबाव डलवाने का प्रयास किये जाने पर शासन स्तर पर इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अनुशानिक कार्यवाही की जायेगी।

4– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव

संख्या : तदैव एवं तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. निजी सचिव, सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/योगदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
9. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण।
11. गार्ड फाईल।

30.06.26

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव।